लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 143वीं बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री प्रशान्त त्रिवेदी	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री आर0एन0 पाल अपर नगर आयुक्त	प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
4.	श्री एस0एस0 दलाल	प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5.	श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6.	श्री सी0पी0 शर्मा मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक	प्रतिनिधि–आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7.	श्री एल0एस0पी0सिंह क्षेत्रीय पयर्टन अधिकारी	प्रतिनिधि–महानिदेशक, पयर्टन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8.	श्री गोविन्द पाण्डेय	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
9.	श्री सुरेश कुमार रावत	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।

अन्य उपस्थिति :

11.	श्रीमती संगीता सिंह	प्रभारी सचिव, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री संजीव सिन्हा	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री अवधेश कुमार	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री एस0बी0 मिश्र	संयुक्त निदेशक (भू0 / वि0), ल0वि0प्रा0।
15.	श्री रवि जैन	नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

कार्यवाही:-	बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई तथा विभिन्न एजेन्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये गये:-
विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.06.2010 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.06.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.06.2010 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.06.2010 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन का अवलोकन किया गया।
विषय संख्या : 3	हरदोई रोड आवासीय योजना (बसन्तकुंज) के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-298/आठ-3-2010-56-एल.ए./96, दिनांक 08.02.2010 के अनुसार ग्राम बरीकला की भूमि हेतु चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान से सम्बन्धित परिचालन से स्वीकृत प्रस्ताव का पुष्टिकरण।
निर्णय :	परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।
विषय संख्या : 4	मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-2822/(एम.एस.)/2009 तथा रिट याचिका संख्या-817/2010(एम.बी.) के क्रम में भूखण्ड सं0-321 सेक्टर-बी महानगर के भू-उपयोग को योजना के तलपट मानचित्र में ''आवासीय'' से

"शैक्षिक, नर्सरी स्कूल" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रश्नगत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। महानगर योजना एक नियोजित कालोनी है जिसमें नियोजन के समय स्कूल के भूखण्ड अलग से यथास्थान नियोजित किये गये है एवं काफी समय पूर्व से ही इन पर स्कूल संचालित है। भूखण्ड संख्या-बी-321 आवासीय भूखण्डों की "रो" में मध्य का भूखण्ड है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि आवासीय भूखण्डों की पाकेट के मध्य स्कूल का प्राविधान नियोजन की दृष्टि से उचित नही है क्योंकि इससे भूखण्ड के अगल-बगल तथा पीछे के निवासियों को कठिनाई होगी। अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी तथा यह अवगत कराया गया कि यदि इस प्रकार के आवासीय भूखण्डों के भू-उपयोग को परिवर्तित किया जाता है तो विभिन्न नियोजित कालोनियों में अवैध रूप से संचालित स्कूल व अन्य व्यवसाय के भूखण्ड स्वामियों द्वारा भी भू-उपयोग परिवर्तन की मांग की जायेगी जिससे नगर नियोजन की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं अवैध निर्माण को बढ़ावा भी मिलेगा।

अतः सम्यक विचारोंपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 5 नगर पंचायत काकोरी को लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने तथा ग्राम मेमोरा को डिनोटिफाई किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोंपरान्त अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन को विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 6 गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-6 के अन्तर्गत "अपना घर" आवासीय योजना के ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के चार मंजिलें भवनों के निर्माण हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोंपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 7 हरदोई रोड स्थित बसन्तकुंज योजना के सेक्टर "ओ" व "एन" के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोंपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 8 स्व0 श्री संतोष कुमार निगम, राजस्व निरीक्षक की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोंपरान्त प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 9 रायबरेली रोड पर ग्राम कल्ली पश्चिम में प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप योजना हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 10 अवध अपार्टमेंट सहकारी आवास समिति लि0 को गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 आवंटित समूह आवास भूखण्ड संख्या-जी.एच.-4/23 के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोंपरान्त अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 11 इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की बिना प्रीमीयम के मात्र लीज रेण्ट पर पट्टे पर दी गयी भूमि के फ्री-होल्ड किये जाने में दरों का पुनः निर्धारण।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 01.09.2010 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर पूर्व नीति के अन्तर्गत तथा दिनांक 01.09.2010 के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित अद्यतन सर्किल रेट पर फ्री-होल्ड की कार्यवाही की जाये।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(संगीता सिंह)
प्रभारी सचिव

28.8.10
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
उपाध्यक्ष

<u>**अनुमोदित**</u>

(प्रशान्त त्रिवेदी)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।